न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 191/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. विजय सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत सा. इन्द्रपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. गोपाल सिंह पुत्र केसरी सिंह जाति राजपूत सा. इन्द्रपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. करणी सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत सा. इन्द्रपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू– अधिवक्ता वादी
2. श्री चरणजीत सिंह सिद्धू– अधिवक्ता प्रतिवादी सं 1 व 2

–: निर्णय :– दिनांक :– 31-5-23

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल सिंह पुत्र केसरी सिंह के नाम चक 17 एमजेडी खाता सं. 38/23 खाता गोपाल सिंह ज.स. 2073–76 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी संलग्न है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति सं. 1 गोपाल सिंह पुत्र केसरी सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति सं. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान वादी तथा प्रति सं. 2 की जददी जायदाद है। जिसमें वादी व प्रति सं. 2 का जन्म से ही बहिब का विरासतन हक व हिस्सा बनता है। प्रति सं. 1 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी व प्रति सं. 2 के पक्ष में बहिब कर दिया है। उक्त आराजी में प्रति सं. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। उक्त आराजी के वादी व प्रति सं. 2 ही हकदार है। उक्त आराजी में प्रति सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी व प्रति सं. 2 को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रति सं. 2 के नाम से अंकन अलग कायम करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए। प्रतिवादी सं. 3 को लैण्डहोल्डर होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। इनके प्रति कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नहीं चाहा गया है। लिहाजा वाद वादीगण बाद तहकीकात निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि चक 17 एमजेडी खाता सं. 38/23 खाता गोपाल सिंह ज.स. 2073–76 में प्रति सं. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी के वादी व प्रति सं. 2 बहिब खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी से प्रति सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी व प्रति सं. 2 के नाम बहिब दर्ज की जावे। वाद बाबत् खाता विभाजन का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है अन्दर मियाद है माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी विजय सिंह का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

31/5/23

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई व बहस वकील वादी एवं प्रतिवादीगण सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सह–काश्तकार है। वाद पत्र का कोई विरोध नही है। अतः वादीगण का वाद पत्र मुताबिक अनुतोश डिकी किया जाकर पक्षकारो का राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार रकमराज कायम करने का आदेश देवे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक 17 एमजेडी खाता सं. 38/23 खाता गोपाल सिंह ज.स. 2073–76 में दर्ज आराजी प्रति सं. 1 गोपाल सिंह पुत्र केसरी सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति सं. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान वादी तथा प्रति सं. 2 की जददी जायदाद है। जिसमें वादी व प्रति सं. 2 का जन्म से ही बहिब का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। प्रति सं. 1 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी व प्रति सं. 2 के पक्ष में बहिब कर दिया है। उक्त आराजी में प्रति सं. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। उक्त आराजी के वादी व प्रति सं. 2 ही हकदार है। उक्त आराजी में प्रति सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादपत्र मुताबिक खाता कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 17 एमजेडी खाता सं. 38/23 खाता गोपाल सिंह ज.स. 2073–76 में प्रति सं. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी के वादी व प्रति सं. 2 बहिब खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी से प्रति सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी व प्रति सं. 2 के नाम बहिब दर्ज की जावे।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 31-5-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31/5/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
हरिपुरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया सहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 191/2023

1. विजय सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत सा. इन्द्रपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गोपाल सिंह पुत्र केसरी सिंह जाति राजपूत सा. इन्द्रपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. करणी सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत सा. इन्द्रपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धु वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिंह सिद्धु वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 17 एमजेडी खाता सं. 38/23 खाता गोपाल सिंह ज.स. 2073–76 में प्रति सं. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी के वादी व प्रति सं. 2 बहिब खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी से प्रति सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी व प्रति सं. 2 के नाम बहिब दर्ज की जावे।

नोट:– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत्...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...X...अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...31-5-23...को जारी किया गया।

31/5/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

23
शिविर स्थल...हरिपुरा